सत्यमेव जयते

ADDRESS

OF

SH. ANIL BAIJAL
LT. GOVERNOR, DELHI

TO

THE EIGHTH SESSION

(BUDGET SESSION)

OF

SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

22nd February, 2019

Hon'ble Speaker and Members,

1. I welcome you all to the Eighth Session (Budget Session) of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

2. My Government is committed to the welfare of the people. Actions of the Government have added impetus to the development process. Delhi has achieved significant economic progress. In 2018-19, the Gross State Domestic Product (GSDP) is estimated to be Rs. 7,79,652/- Crores registering a growth of 12.98%. Contribution of Delhi to the GDP of the nation was 4.14 % during 2018-19. The per capita income of Delhi in 2018-19 is estimated at Rs. 3,65,529/- as compared to Rs.3,28,985/- in 2017-18, indicating a growth of 11.11%.

3. While the economy of the state has flourished, it is imperative that all sections of the population become beneficiary of this growth. The growth has to be inclusive to uplift the conditions of the weaker sections of the population. Last few years have witnessed a focused approach of my Government towards attaining the objective.

4. Education is an important parameter for inclusive growth. Investing in education plays a key role in meeting social development objectives. Number of initiatives have been taken by the Government to improve the education sector. Pre-primary & Primary Classes have been given big boost with the introduction of nursery classes in 149 Sarvodaya Vidyalayas, this has resulted in 301 schools with nursery classes. This

will lead to increase in admission of more students in nursery classes and will also promote integrated education in the same school.

5. From Academic Session 2018-19, one new Rastriya Pratibha Vikas Vidyalaya (RPVV) was opened and 09 existing schools were upgraded thereby paving the way for increasing the intake of students at different levels. Further, 05 schools of excellence with English as a medium of instruction have also become functional in this academic session.

6. For the first time, 4178 classroom libraries have been setup in primary section of Government Schools with the objective of inculcating reading habit among children at an early stage.

7. 3,30,460 students attended classes under new programme "Mission Buniyad" through which special campaign during April to June was organized for students from Class – I to IX of Delhi Government and Municipal Corporation Schools to improve reading ability and mathematical skills.

8. A new curriculum – 'Happiness Curriculum' was started in all Government Schools.

9. To improve communication skills of the students, special classes were conducted to cover 24,000 students for development of spoken English skills and communicative competence through specialized professional Institutions.

10. To provide same level of educational opportunity to the students belonging to the Economically Weaker Sections and Disadvantaged Groups (EWS&DG); 32,455 students were nominated through online lottery system for admission in the entry grade classes in different unaided private schools under EWS & DG quota during 2018-19.

11. To focus on Out of School Children, 556 Special Training Centres (STCs) have been setup and 17,178 Out of School Children were enrolled to train them appropriate to their age and then bring them to regular school.

12. School Management Committees have been constituted in all Government schools and Aided schools for monitoring

the Right to Education. All newly elected School Management Committee members were imparted training to enable them to discharge their duties.

13. To ensure that students of Delhi get education in acclaimed institutions, my Government has decided to reimburse to Rashtriya Indian Military College (RIMC), Dehradun, the actual fee charged to the student which shall also include any increase in the tuition fee in future.

14. To strengthen the school infrastructure, construction of 31 new school buildings have been started. Government has approved construction of about 12,700 additional class rooms in existing schools for increased access to education and to achieve the ideal Pupil Teacher Ratio.

Upgradation of Nursery class rooms in existing 155 Sarvodaya Vidyalayas and Middle School Libraries in 400 Schools have been initiated. CCTVs will be installed in all government schools for safety and security of students.

15. To encourage excellence in sports, Government has decided to provide employment opportunities to the sportspersons. It has been decided to reserve 5% of vacancies of the total number of vacancies in all Departments/PSUs/Autonomous bodies etc. for sports persons.

16. Government has decided to increase cash incentives to outstanding sportspersons of Delhi for their achievements in Olympics, Asian Games and Commonwealth Games including Para

Games. Amount of cash incentives to Olympic Games and Paralympic Games Gold Medal winner will be Rs. 3.00 Crores, Silver Medal winner will get Rs. 2.00 Crores and Bronze Medal winner will be given Rs. 1.00 Crore.

17. In a recent decision Government has approved construction of sports complex for Education Department at village Kair of Assembly Constituency Najafgarh, New Delhi at a cost of Rs. 139.16 Crores.

18. Higher Education is a key driver of economic growth and productivity. To encourage Higher Education, Government has extended financial support through the Merit-cum-Means linked Financial Assistance Scheme and Delhi Higher Education & Skill Development Guarantee Scheme.

19. Ambedkar University Delhi has launched number of new undergraduate and postgraduate courses as well as PhD programmes during the current session 2018-19. A new School – School of Global Affairs (SGA) has been started during 2018-19. It currently offers three undergraduate and two postgraduate programmes. The University now has a total of 13 Schools altogether in its three campuses.

20. As recognition of excellence, National Law University, Delhi has received the second rank in the Law School category of National Institutional Ranking Framework 2018 of the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India.

21. Netaji Subhash Institute of Technology was upgraded as a University with effect from 26.09.2018. It is now known as Netaji Subhash University of Technology.

22. World Class Skill Centre is presently functioning from the campus of ITI Vivek Vihar. Construction of permanent campus of World Class Skill Centre is in progress at Jaunapur. Further, it is proposed to establish 25 more World Class Skill Centers. In the first phase, 06 World Class Skill Centers are to be started. In second phase, another 19 World Class Skill Centers are planned to be made functional.

23. Health care for the citizens is not only a desirable goal, but also an essential investment in Human Resources.

Government is committed to provide preventive, promotive and curative Health Care Services to the citizens of Delhi.

24. There are 36 Multispecialty Hospitals including 6 Super Specialty Hospitals. In addition to this, 180 Allopathic Dispensaries, 187 Aam Aadmi Mohalla Clinics and 25 Polyclinics are providing healthcare services to the citizens of Delhi. The proposal of opening of 94 Polyclinics after remodelling of existing dispensaries has been approved by the Government in order to provide Multispecialty Health care facility throughout Delhi.

25. To provide additional 10,000 beds in hospitals, the work of enhancement of bed capacity through construction of

hospitals at Burari, Ambedkar Nagar and Dwarka is in progress. In addition, there is a proposal of remodelling of 17 existing hospitals to increase number of overall bed capacity and services.

26. Government has taken number of initiatives to reduce the burden on the citizens for medical treatment. All essential drugs are being provided free of cost to patients attending public health centres of Delhi Government. Free lab diagnostic and free radiological services to patients through empanelled radiological centres are available for patients, if referred from Delhi Government Health Centres. Free surgery for 52 kinds of surgeries by 48 empanelled hospitals on referral by Delhi Govt. hospitals are being provided to

patients. The scheme of free treatment/surgery/diagnostic tests for general public, which cannot be provided at Delhi Govt. hospitals, are being provided through indentified private hospitals for which payment is released through Delhi Arogya Kosh.

27. Government has amended the eligibility criteria for availing financial assistance through Delhi Arogya Kosh for free treatment in identified private hospitals/nursing homes for Medico-legal victims of road accident, acid attack and thermal burn injury when the incident has occurred in Delhi.

28. Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 (PC & PNDT Act, 1994) was enacted so as to prevent the illicit use of technology that adversely

affect the sex ratio. For effective implementation of PC & PNDT Act, 1994, Government has approved an incentive/rewards scheme to get information/tip-off regarding centres/Doctors who are performing sex determination test.

29. Centralized Accident & Trauma Services (CATS) is providing round the clock ambulance services in Delhi. CATS has a fleet of 265 ambulances. To reduce the response time in congested areas and J.J clusters, CATS has launched a pilot project for induction of First Responder Vehicle (FRVs) with a fleet of 16 FRVs (Motorcycle) in East Delhi (East, North East & Shahdara District). These FRVs are equipped with medical equipments and will be manned by trained ambulance and manpower.

30. Government has taken special care of the marginalized and vulnerable sections of the society. Government provides financial assistance of Rs. 2500/- through Delhi Pension Scheme to women in distress. Similarly, one time grant of Rs. 30,000/- is paid to poor widows for performing marriage of their daughters. Financial assistance is also provided to old persons who are without any means of subsistence. People in the age group of 60 – 69 years are given pension of Rs. 2,000/- per month with an additional Rs. 500/- per month to the beneficiaries who belong to SC/ST/Minorities category. Persons who are 70 years and above are given a monthly pension of Rs. 2,500/-. Through Disability Pension Scheme, financial assistance of Rs. 2,500/- per

month is provided to persons with disability. In addition to this, financial assistance is also provided under National Family Benefit Scheme. Under this scheme, one time assistance of Rs. 20,000/- is provided to the beneficiary.

31. On 18.09.2018, Government has approved a proposal for mapping Delhi using 'Safetipin', focusing on women safety in public places.

32. For the welfare of the Senior Citizens, Government has also launched "Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana" on 05.12.2018. This scheme is applicable to Senior Citizens who have completed 60 years of age. Government will arrange and bear the cost of Tirth Yatra covering the specified destinations.

33. In order to honour the Defence Personnel/Delhi Police Personnel/Para-Military Personnel/Home Guards/Delhi Fire Service Personnel/Civil Defence Volunteers, who die in operation/war/discharge of bona-fide duty, my Government has decided to grant an ex-gratia of Rs.1 Crore to the family of the deceased.

34. For the welfare of SC/ST/OBC/Minority Students, Government is providing scholarship through 09 scholarship schemes. Further, "Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana" is envisaged for assisting students belonging to SC category to appear in various competitive examinations by way of providing coaching through empanelled private coaching institutes.

Students belonging to SC category and having total family income of not more than Rs. 6.00 lakh per annum are eligible under this scheme. Monthly stipend of Rs. 2,500/- per student is paid for attending the coaching classes. During the financial year 2018-19, funds to the tune of Rs. 24 Crores has been allocated under the scheme for providing coaching to nearly 5,000 SC category students.

35. Department for welfare of SC/ST/OBC/Minorities is implementing scheme for improvement of SC bastis through civil development works.

36. My Government is committed to 'Jahan Jhuggi Wahin Makan' by adopting in-situ rehabilitation of JJ Bastis so that the poor JJ dwellers are not displaced to far off areas in the city. They will be rehabilitated

in areas within a radius of 05 Kms. With this approach JJ dwellers will be able to retain the linkages with their profession and will continue to earn their livelihood without much disturbance. As a first in-situ project, Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) is in advance stage of allotting 1060 houses at Sultanpuri. Besides this, 04 JJ bastis located in different parts of the city will be shifted to Dwarka, for which draw of flats has already been conducted. To fulfill this promise, Government has also undertaken construction of 5,594 multi-storied EWS houses at four locations in the city. Construction of these flats will be completed in 24 months. DUSIB will also conduct demand survey of all jhuggi dwellers in Delhi which will cover around 750 JJ bastis to make a plan for

their rehabilitation in built up flats. They will be issued a certificate after the survey as a proof of their occupying a Jhuggi which will establish their claim for allotment of flat. The Delhi Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy, which was notified by Government of Delhi on 11.12.2017, has been recently renamed as "Mukhya Mantri Awas Yojna".

37. Government of Delhi is committed to welfare of citizens. To ensure that citizens get basic amenities, Government has continued the subsidy of 50% on electricity charges for all domestic consumers consuming up to 400 Units per month. Similarly, domestic households having functional water meter get free water supply up to 20 KL

per month. This facility has also been extended to Group Housing Societies.

38. Demand of water of the city population has been successfully met. Water supply has been extended to 1337 unauthorized colonies. About 108 Kms old water line has been replaced to improve water supply and to prevent water contamination.

39. To augment the water supply in Delhi, Delhi Jal Board has also taken up rejuvenation of 159 existing water bodies and creation of 5 new water bodies.

40. The work of construction of 70 MGD STP at Coronation Pillar and rehabilitation/ augmentation of Kondli, Rithala and Okhla STPs have been taken up to augment the treatment capacity from 607 MGD to 707 MGD within next two years.

41. Work is in progress for improvement of carrying capacity of the Sewer Lines. 167 KM of peripheral Sewer Lines are being upgraded with trenchless technology to increase the life span by more than 50 years.

42. Sewerage facility has been provided in 266 unauthorized colonies and work is in progress in 355 colonies.

43. The work of laying sewer line in 162 colonies in Palam, Bijwasan, Matiyala, Dwarka, Najafgarh, Mundka, Ritala, Vikaspuri constituencies is being taken up and shall be completed in phases by December, 2020.

44. For cleaning of Yamuna, the project of interceptor sewer has been completed to the extent of 92% and about 110 MGD

waste water have been trapped from the drains and now being treated at the Sewer Treatment Plant. It is proposed to establish decentralized STPs in rural areas where at present infrastructure of STPs does not exist.

45. Government has increased MLALAD funds to Rs. 10 Crores for each Assembly Constituency so that MLAs could carry out more developmental works in their assembly constituencies.

46. For the welfare of labourers, Govt. of Delhi has established its commitment by restoring the minimum wages which were enhanced by Govt. of Delhi in March, 2017 through the intervention of Hon'ble Supreme Court of India in respect of all those, who have been directly employed on contract basis by

Government of NCT of Delhi at minimum wage rates or who have been employed by contractors in various works of Government of NCT of Delhi at minimum wage rates. They shall continue to receive payments at earlier rates prevailing before 4th August, 2018.

47. For general welfare of workers and other persons, Govt. of Delhi has constituted Delhi Labour Welfare Board under the provisions of Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 and Delhi Labour Welfare Fund Rules-1997 vide notification issued on 12.06.2018. This is a tripartite board representing employers, employees and Govt. representatives. The board is mandated to carve out various welfare schemes for the benefit of workers and other persons.

48. On 21–22 January, 2019, Government organized Delhi Rojgar Mela 2019. This mela brought the employers and the job seekers face to face. This resulted in quick processing of the applications and offer of appointments to the candidates. Large numbers of job seekers were benefited.

49. For development of villages, Department of Rural Development has issued administrative approval and expenditure sanction in respect of 352 projects amounting to Rs. 337 Crores for the year 2018-19.

50. Infrastructure of the city has been further upgraded. The Signature Bridge was made operational for the public on 05.11.2018. The Signature Bridge is the first asymmetrical cable-stayed bridge in India. This bridge has reduced the travel

time between North and North-East Delhi. In addition to this, skywalk and foot over bridge at ITO was opened for public use. To improve the infrastructure in the city, elevated Road over Barapullah Nallah (Phase-II) was opened. This will result in decongestion of the ring road in front of Sarai Kale Khan Bus Stand apart from reduction in travel time by 15 to 20 Minutes.

51. Number of projects to improve the road infrastructure are also in progress:-

a) Construction of Elevated Road of Barapullah Phase-III from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar.

b) Single Flyover from Munirka to Army Hospital on the Outer Ring Road and Underpass at junction of B.J. Marg and Inner Ring Road.

c) Tunnel below ITPO from Bhairon Road-Ring Road Junction to Purana Quila Road.

52. For street light illumination and illumination of dark spots, 3722 poles have been installed and 6101 LED lights were installed and energized by PWD. This will ensure safety of citizens, particularly women. Further, to ensure security of women in the city, Government has approved installation of CCTVs throughout the city.

53. PWD will strengthen 340 Kms road during this year. In addition to this, PWD has planned to carry out 500 Kms of road landscaping. The beautification work under 35 flyovers has been taken up. As a green measure, an innovative pilot project to install solar panels over 16 Kms

of cycle tracks has been proposed on PWD roads.

54. Peak power demand of 7016 MW was successfully met this year. To promote eco-friendly energy generation, Government has approved "Mukhyamantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna" on 24.7.2018 and "Mukhyamantri Solar Power Yojna" for domestic consumers in Delhi on 25.09.2018.

55. Government has decided to boost public transport infrastructure in Delhi. Agreements have been signed for engagement of 1000 Standard Height Floor Buses under Cluster Scheme. In keeping with its commitment to provide environmental friendly public transport, the Government has also decided to

engage 1000 Low Floor Air Conditioned Electric Buses under the Cluster Scheme. With this decision, Delhi has become the first state to engage electric buses at such a large scale. In addition to this, 1000 low floor Air Conditioned CNG propelled buses have been approved under Cluster Scheme.

56. Further, the Government has decided to expand the Metro Rail Network. Government has approved Phase-IV of the Delhi Metro which will add 103.937 Kms. to the Delhi Metro Network.

57. Government has approved the revised funding plan for Metro Phase-IV according to which the Government will bear Rs. 9707.50 Crores of the total project cost for Phase-IV. It has been further decided that DMRC would construct

elevated roads on top of the elevated sections of metro corridors No. 1, 2, and 3 for which Delhi Government would bear the cost.

58. As another step of good governance, on 10.09.2018 my Government rolled out scheme for Doorstep Delivery of Public Services with 40 services. Thirty more services will be added. This will allow citizens to obtain various services of the Government right from their homes without having to make multiple rounds of the Government offices.

59. Government has focused attention to improve environment in the city and to check pollution. Number of actions have been taken which include constant monitoring of air pollution, implementation of Graded Response

Action Plan (GRAP), plantation drive, providing subsidy to industries to use PNG, incentivizing eateries to convert from coal-based tandoors to gas-based tandoors. Further, Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has issued notification on 29.6.2018 by which only approved fuels are permitted to be used. During Diwali festival, ban on fire crackers was enforced to prevent deterioration of air quality. Green Budget was introduced in the budget for 2018-19, after studying several initiatives to reduce air pollution in a scientific manner. 26 programmes and projects of different departments have been included in the Green Budget. To control water pollution, Effluent Treatment Plants (ETPs) are installed in various industrial units, hotels etc. For treatment

of waste water generated from the industrial areas, 13 CETPs have been installed.

60. Hon'ble Speaker and Members of the august House, I have presented before you, in brief, the highlights of some of the activities undertaken by my Government. The Finance Minister will spell out further details, in his Budget Speech.

61. I extend my warm greetings and good wishes to all of you and wish you all success in your deliberations.

Jai Hind

सत्यमेव जयते

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

का

अभिभाषण

छठी विधानसभा

का

आठवाँ सत्र

(बजट सत्र)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

22 फरवरी, 2019

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधानसभा के आठवें सत्र (बजट सत्र) में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ।

2. मेरी सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की गतिविधियों से विकास प्रक्रिया में तेजी आई है। दिल्ली ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है। वर्ष 2018–19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 7,79,652 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो 12.98 प्रतिशत की विकास दर दर्शाता है। राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 2018–19 में 4.14 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018–19 में प्रति व्यक्ति आय 3,65,529 रुपये रहने का अनुमान है जो 2017–18 के 3,28,985 रुपये की तुलना में 11.11 प्रतिशत अधिक है।

3. अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। समाज के कमजोर तबकों की हालत सुधारने के लिए विकास का समावेशी होना जरूरी है। मेरी सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल करने पर खास ध्यान दिया गया है।

4. शिक्षा समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। शिक्षा में निवेश सामाजिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गयी हैं। 149 सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं शुरू किये जाने से पूर्व–प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसके फलस्वरूप 301 स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं हैं जिससे अधिक विद्यार्थियों का दाखिला होगा और समन्वित शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

5. शैक्षिक सत्र 2018–19 में एक नये राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आर.पी.वी.वी.) ने काम करना शुरू किया और मौजूदा 09 स्कूलों को अपग्रेड किया गया जिससे विभिन्न स्तरों पर और अधिक संख्या में विद्यार्थियों को इन स्कूलों में दाखिला मिला। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले 05 उत्कृष्टता विद्यालयों ने भी इसी शैक्षिक सत्र से कार्य करना प्रारंभ किया।

6. पहली बार सरकारी स्कूलों के प्राथमिक सेक्शन में 4,178 कक्षा पुस्ताकालयों की व्यवस्था की गयी ताकि बच्चों में शुरू से ही पढ़ने की आदत का विकास हो।

7. नये कार्यक्रम "मिशन बुनियाद" के अंतर्गत दिल्ली सरकार और नगर निगम स्कूलों के पहली कक्षा से नौंवी कक्षा तक के 3,30,460 विद्यार्थी अप्रैल से जून तक विशेष अभियान के तहत अपनी पढ़ने की

क्षमता और गणितीय कौशल में सुधार के लिए आयोजित कक्षाओं में शामिल हुए।

8. सभी सरकारी स्कूलों में एक नए पाठ्यक्रम 'हैप्पीनेस करीकुलम' की शुरुआत की गयी।

9. विद्यार्थियों के संवाद कौशल में सुधार के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की गयीं जिनमें 24,000 विद्यार्थियों को बोलचाल की अंग्रेजी सिखाने में विशेषज्ञता रखने वाली पेशेवर संस्थाओं के माध्यम से अंग्रेजी संवाद का प्रशिक्षण दिया गया।

10. समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों और उपेक्षित समूहों (ई.डब्ल्यू.एस. एण्ड डी.जी.) को शिक्षा में बराबरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, 2018–19 में ई.डब्ल्यू.एस. एण्ड डी.जी. कोटा के अंतर्गत 32,455 विद्यार्थियों को ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के जरिए विभिन्न निजी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए चुना गया।

11. स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 556 विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.) स्थापित किये गये और ऐसे 17,178 बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे नियमित स्कूलों में दाखिला ले सके।

12. सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून की निगरानी के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां बना दी गयी हैं। सभी नवनिर्वाचित स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर अपने दायित्व निभाने में सक्षम बनाया गया है।

13. दिल्ली के विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय इंडियन मिलीटरी कॉलेज (आर.आई.एम. सी.), देहरादून में दिल्ली के छात्रों से लिये जाने

वाले वास्तविक शुल्क की अदायगी करने का फैसला किया है। शिक्षण शुल्क में भविष्य में की जाने वाली बढ़ोतरी की अदायगी भी इसमें शामिल है।

14. स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 31 स्कूलों की इमारतों का निर्माण शुरू किया गया। सरकार ने मौजूदा स्कूलों में करीब 12,700 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की मंजूरी दी है ताकि शिक्षा तक बच्चों की पहुंच बढ़े और अध्यापक–विद्यार्थी अनुपात के आदर्श स्तर को प्राप्त किया जा सके। वर्तमान 155 सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाओं और 400 स्कूलों में माध्यमिक स्कूल पुस्तकालयों के अपग्रेडेशन का कार्य प्रारंभ भी किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और हिफाज़त के लिए क्लोज सर्किट टेलिविजन (सी.सी.टी.वी.) लगाए जाएंगे।

15. खेल–कूद में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने खिलाड़ियों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का फैसला किया है। इसके अनुसार सभी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं आदि में 5 प्रतिशत पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किये जाएंगे।

16. सरकार ने ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरालम्पिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को दी जाने वाली नकद प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ओलम्पिक खेलों और पैरालम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों को तीन करोड़ रुपये, रजत पदक प्राप्त करने वालों को दो करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

17. हाल के एक फैसले में सरकार ने नई दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के कैर गांव में शिक्षा विभाग के लिए 139.16 करोड़ रुपये की लागत से खेल परिसर के निर्माण की मंजूरी दी है।

18. उच्च शिक्षा आर्थिक विकास और उत्पादकता की प्रमुख प्रेरक है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योग्यता एवं संसाधनों से जुड़ी वित्तीय सहायता योजना और दिल्ली उच्च शिक्षा व कौशल विकास गारंटी योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता का विस्तार किया है।

19. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने 2018–19 के चालू शैक्षिक सत्र में कई नये स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ–साथ पी.एच.डी. पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किये हैं। वर्ष 2018–19 में स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स (एस.जी.ए.) के नाम से एक नया स्कूल शुरू किया गया है। फिलहाल

इसमें स्नातक स्तर के तीन और स्नातकोत्तर स्तर के दो पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के तीन परिसरों में इस समय कुल 13 स्कूल कार्यरत हैं।

20. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क–2018 की लॉ स्कूल (विधि विद्यापीठ) श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

21. नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी संस्थान को अपग्रेड करके 26.09.2018 से इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। अब इसे नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।

22. वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर आई.टी.आई. विवेक विहार के परिसर से काम कर रही है। जौनापुर में

इसके स्थायी परिसर के निर्माण का कार्य जारी है। इसके अलावा इसी तरह के 25 अन्य वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोलने का भी प्रस्ताव है। पहले चरण में 6 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोले जाएंगे। दूसरे चरण में 19 अन्य वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोलने की योजना है।

23. नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना न सिर्फ एक वांछित लक्ष्य है, बल्कि मानव संसाधनों के क्षेत्र में एक आवश्यक निवेश भी है। सरकार दिल्ली के नागरिकों को बीमारियों की रोकथाम, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोगों के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

24. इस समय 6 सुपर स्पेशिअलिटी अस्पतालों समेत 36 मल्टी स्पेशिअलिटी अस्पताल हैं। इसके अलावा 180 एलोपैथिक दवाखाने, 187 आम

आदमी मोहल्ला क्लीनिक और 25 पॉलीक्लीनिक भी दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार ने मौजूदा दवाखानों को नया रूप देकर 94 पॉलीक्लनिक खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि पूरी दिल्ली में मल्टीस्पेशिअलिटी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

25. अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए बुराड़ी, अम्बेडकर नगर और द्वारका में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मौजूदा 17 अस्पतालों को नया रूप देकर बिस्तरों की कुल क्षमता और सेवाओं में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है।

26. सरकार ने नागरिकों के इलाज पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए कई पहल की है। दिल्ली

सरकार के जन स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले रोगियों को सभी आवश्यक दवाएं मुफ्त उपलब्ध करायी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केन्द्रों से रेफर किये गये रोगियों को पैनल में शामिल रेडियोलॉजिकल सेंटरों के माध्यम से मुफ्त नैदानिक और रेडियोलॉजिकल सेवाएं भी उलब्ध करायी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों से रेफर रोगियों को 52 किस्म की विभिन्न शल्यचिकित्सा 48 पैनलबद्ध अस्पतालों से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आम जनता को जिन बीमारियों के मुफ्त इलाज/शल्य चिकित्सा/निदान की सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है उनके उपचार की सुविधा चुने हुए निजी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। इनके लिए धनराशि दिल्ली आरोग्य कोष से दी जाती है।

27. सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष से दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं, तेजाब के हमले और आग से झुलसने के चिकित्सा–विधिक मामलों में घायल व्यक्तियों को चुने हुए निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम में मुफ्त इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्रता मापदंडों में संशोधन किया है।

28. ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अवैध इस्तेमाल से लिंग – अनुपात में विषमता आती हो, को रोकने के लिए गर्भाधान पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 अधिसूचित किया गया था । इस अधिनियम का कारगर अमल सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है ताकि ऐसे केन्द्रों/डाक्टरों के बारे में जानकारी मिले जो भ्रूण के लिंग का पता लगाने का परीक्षण करते हैं।

29. सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (सी.ए.टी.एस.) दिल्ली में दिन–रात एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराती है। कैट्स के पास 265 एंबुलेंस वाहनों का बेड़ा है। घनी आबादी वाले इलाकों और झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में मदद के लिए पहुंचने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कैट्स ने पूर्वी दिल्ली (पूर्व, उत्तर–पूर्व और शाहदरा जिले) में फर्स्ट रिस्पांडर व्हीकल (एफ.आर.वी.) तैनात करने की एक परियोजना परीक्षण के तौर पर शुरू की है जिसके अंतर्गत 16 एफ.आर.वी. (मोटरसाइकिलें) तैनात की गयी हैं। ये एफ.आर.वी. चिकित्सा उपकरणों से लैस होती हैं और इनमें प्रशिक्षित एंबुलेंसकर्मी उपलब्ध रहते हैं।

30. सरकार ने समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। सरकार दिल्ली पेंशन योजना के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती

है। इसी तरह गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए 30,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। ऐसे बुजुर्ग जिनके पास अपने निर्वाह का कोई साधन नहीं है उन्हें भी वित्तीय सहायता दी जाती है। 60–69 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों को हर महीने 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यक श्रेणियों के लाभार्थियों को 500 रुपये महीने अतिरिक्त दिये जाते हैं। ऐसे लोग जो 70 साल या इससे अधिक उम्र के हैं उन्हें 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। दिव्यांगजन पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग लोगों को 2,500 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस योजना में लाभार्थियों को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

31. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये 'सेफ्टीपिन' के जरिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों का नक्शा बनाया जाएगा।

32. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार ने ''मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना'' 05.12.2018 को शुरू की। यह योजना 60 साल पूरा कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके अंतर्गत सरकार कुछ निर्धारित तीर्थस्थानों की यात्रा का इंतजाम करेगी और खर्चा उठाएगी।

33. भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड्स, दिल्ली अग्निशमन सेवा और सिविल डिफेंस के सदस्य जिनका कार्यवाही या युद्ध के दौरान या अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते समय

देहान्त होता है, के परिवारों को मेरी सरकार ने एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है।

34. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकार नौ छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से वजीफे देती है। इतना ही नहीं, ''जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना'' के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए पैनलबद्ध निजी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक पारिवारिक आमदनी 6 लाख रुपये से अधिक नहीं है इस योजना के लिए पात्र हैं। कोचिंग कक्षाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वृत्ति दी

जाती है। वित्त वर्ष 2018–19 में इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के करीब 5,000 विद्यार्थियों को कोचिंग देने के लिए 24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

35. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सिविल विकास कार्यों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की बस्तियों में सुधार की योजना लागू कर रहा है।

36. मेरी सरकार 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है जिसके अंतर्गत झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में रहने वालों को शहर के दूर–दराज इलाकों में पुनर्वासित करने की बजाय उनकी बस्तियों के आस–पास ही बसाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पुनर्वास वाली जगह उनकी बस्ती से पांच किलोमीटर से ज्यादा दूर न हो। इस नीति से जे.जे. बस्तियों के निवासी

बिना किसी व्यवधान के अपनी आजीविका कमाते रहेंगे। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डी.यू. एस.आई.बी.) की इस तरह की पहली परियोजना अग्रिम स्तर पर है, जिसके अंतर्गत सुल्तानपुरी में 1,016 आवास आबंटित किये जाएंगे। इसके अलावा शहर के विभिन्न भागों में स्थित चार जे.जे. बस्तियों को द्वारका स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए लॉटरी के जरिए फ्लैट्स का ड्रॉ निकाला जा चुका है। इसी उद्देश्य के तहत सरकार ने शहर में 4 स्थानों पर 5,594 बहुमंजिला ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया है। इन फ्लैटों का निर्माण 24 महीनों में पूरा हो जाएगा। डी.यू.एस.आई.बी. दिल्ली में सभी झुग्गीवासियों का मांग–सर्वेक्षण कार्य भी करेगा जिसके अंतर्गत 750 झुग्गी बस्तियों को शामिल किया जाएगा और पूरी तरह से निर्मित फ्लैटों में उनके पुनर्वास की योजना बनायी जाएगी। सर्वेक्षण के बाद उन्हें झुग्गी में रहने के

सबूत के तौर पर प्रमाण–पत्र दिया जाएगा, जिससे फ्लैट पाने का उनका दावा साबित हो सकेगा। दिल्ली सरकार द्वारा 11.12.2017 को अधिसूचित दिल्ली स्लम और झुग्गी–झोंपड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को हाल में "मुख्यमंत्री आवास योजना" का नाम दिया गया है।

37. दिल्ली सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार ने महीने में 400 यूनिट तक की बिजली की खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की सब्सिडी जारी रखी है। इसी तरह पानी के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके पानी के मीटर चालू हालत में हैं, हर महीने 20 किलोलीटर पानी की सप्लाई निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में भी इस सुविधा का विस्तार किया गया है।

38. शहर के लोगों की पानी की मांग सफलतापूर्वक पूरी की जा रही है। 1,337 अनधिकृत कालोनियों में जल आपूर्ति का विस्तार किया गया है। पानी की सप्लाई में सुधार और पानी के प्रदूषण की रोकथाम के लिए 108 कि.मी. लंबी पुरानी पानी की लाइनों को बदला गया है।

39. दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने भी 159 मौजूदा जलाशयों के जीर्णोद्धार और 5 नये जलाशयों के निर्माण का काम हाथ में लिया है।

40. कॉरोनेशन पिलर के पास 79 एम.जी.डी. क्षमता के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का कार्य और कोंडली, रिठाला और ओखला में एस.टी.पी. की मरम्मत/क्षमता बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है ताकि इनकी शोधन क्षमता अगले दो वर्षों में 607 एम.जी.डी. से बढ़कर 707 एम.जी.डी. की जा सके।

41. सीवर लाइनों की वहन क्षमता में सुधार का कार्य जारी है। 167 कि.मी. लंबी परिधीय सीवर लाइनों का ट्रेंचलैस टेक्नोलाजी से उच्चीकरण किया जा रहा है ताकि वे 50 साल से भी अधिक समय तक कार्य कर सकें।

42. 266 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है और 355 में यह कार्य चल रहा है।

43. पालम, बिजवासन, मटियाला, द्वारका, नजफगढ़, मुंडका, रिठाला और विकासपुरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की 162 कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछाने का काम भी शुरू किया जा रहा है और इसे चरणबद्ध तरीके से 2020 तक पूरा कर दिया जाएगा।

44. यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर परियोजना का काम 92 प्रतिशत पूरा हो चुका है

और नालों के करीब 110 एम.जी.डी. अवजल को नदी में पहुंचने से रोक कर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसका शोधन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे स्थानों पर विकेन्द्रित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) लगाने की योजना है जहां अब तक ये नहीं हैं।

45. सरकार ने प्रत्येक विधानससभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एम. एल.ए.एल.ए.डी) को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है ताकि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक विकासात्मक कार्य कर सकें।

46. दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अन्तर्गत मार्च, 2017 में बढ़ायी गयी न्यूनतम मजदूरी को उन लोगों के लिये बहाल कर दिया है जिन्हें राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सीधे अनुबंध के आधार पर न्यूनतम मजदूरी पर काम पर रखा था या जो ठेकेदारों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न कार्यों के लिए काम पर रखे गये थे। ऐसे सभी लोग 4 अगस्त, 2018 से पहले की दरों से मजदूरी का भुगतान प्राप्त करते रहेंगे।

47. श्रमिकों और अन्य लोगों के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार ने बॉम्बे लेबर वैलफेयर फंड एक्ट, 1953 और दिल्ली लेबर वैलफेयर फंड रूल्स–1997 के प्रावधानों के अनुसार 12 जून, 2018 को जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। यह त्रिपक्षीय बोर्ड है जिसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। बोर्ड को कामगारों और अन्य लोगों के फायदे के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

48. दिनांक 21–22 जनवरी, 2019 को सरकार ने दिल्ली रोजगार मेला, 2019 का आयोजन किया। इस मेले में इम्प्लायर्स और रोजगार तलाश रहे लोगों को एक–दूसरे से मिलने का मौका मिला। इससे आवेदनों को तेजी से निपटाया जा सका और उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिये गये। इससे रोजगार ढूंढ रहे बहुत से लोगों को फायदा हुआ।

49. गांवों के विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्ष 2018–19 में 337 करोड़ रुपये लागत की 352 परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई है।

50. शहर के बुनियादी ढांचे को और उन्नत बनाया गया है। 05.11.2018 को सिग्नेचर ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया। यह पुल भारत में केबल पर बना पहला एसिमिट्रिकल किस्म का पुल है। इससे उत्तरी दिल्ली और उत्तर–पूर्वी

दिल्ली के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय में कमी आयी है। इसके अलावा आई.टी.ओ. के पास स्काई वॉक और फूट ओवरब्रिज को भी जनता के आने–जाने के लिए खोला गया। शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बारापुला नाले पर एलीवेटेड रोड (द्वितीय चरण) को भी यातायात के लिए खोला गया। इससे रिंग रोड में सराय काले खां बस अड्डे के सामने वाहनों की भीड़भाड़ कम होगी और यात्रा में लगने वाले समय में 15 से 20 मिनट की कमी आएगी।

51. सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई परियोजनाओं का काम भी आगे बढ़ रहा है:–

क) बारापुला–तृतीय चरण के तहत सराय काले खां से मयूर विहार तक एलीवेटेड सड़क का निर्माण;

ख) बाहरी रिंग रोड़ पर मुनीरका से सेना अस्पताल तक एक ही फ्लाइओवर और बी.जे. मार्ग तथा अंदरूनी रिंग रोड के चौराहे पर अंडरपास का निर्माण;

ग) भैरों रोड–रिंग रोड के पुराना किला रोड के साथ जंक्शन वाले स्थान पर आई.टी.पी.ओ. के नीचे टनल बनाने का कार्य।

52. स्ट्रीट लाइट लगाने और अंधेरे स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 3722 बिजली के खंभे लगाए और 6101 एल.ई.डी. बल्ब को रोशन करने के लिये बिजली का कनेक्शन दिया । इससे नागरिकों, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में सीसीटीवी लगाने की मंजूरी दी गयी है।

53. लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) इस साल 340 कि.मी. लंबी सड़कों को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। इसके अलावा विभाग ने 500 कि.मी. सड़कों की लैंडस्केपिंग करने की भी योजना बनायी है। 35 फ्लाइओवरों के निचले हिस्से का

सौन्दर्यकरण करने का कार्य भी शुरू किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय के तौर पर लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर 16 कि.मी. लंबे साइकिल ट्रैक्स पर सोलर पैनल लगाने की एक नयी योजना परीक्षण के तौर पर प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

54. बिजली की 7016 मेगावाट की उच्चतम मांग की इस वर्ष सफलतापूर्वक आपूर्ति की गयी है। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 24.07.2018 को "मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सौर योजना" को और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25.09.2018 को "मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना" को मंजूरी दी।

55. सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का फैसला किया है। क्लस्टर बस योजना के तहत 1000 स्टैंडर्ड हाईट

फ्लोर बसें शामिल करने के लिए समझौतों पर दस्तखत किये गये हैं। पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के अपने वादे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1000 लो फ्लोर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें क्लस्टर योजना के तहत चलाने का फैसला किया है। इस निर्णय से दिल्ली इतने बड़े पैमाने पर बिजली से चलने वाली बसें संचालित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा क्लस्टर योजना के तहत 1000 लो फ्लोर वातानुकूलित सीएनजी बसों को भी मंजूरी दी गयी है।

56. इतना ही नहीं, सरकार ने मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने का फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है जिससे दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 103.937 कि.मी. की वृद्धि होगी।

57. सरकार ने मेट्रो के चौथे चरण के लिए संशोधित फंडिंग योजना को मंजूरी दे दी है जिसके अनुसार सरकार चौथे चरण की कुल परियोजना लागत में से 9707.50 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। यह भी फैसला किया गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) मेट्रो गलियारा सं. 1, 2 और 3 के एलीवेटेड खंडों के ऊपर एलीवेटेड सड़कें भी बनाएगी जिसकी लागत दिल्ली सरकार वहन करेगी।

58. सुशासन की दिशा में एक और कदम के रूप में मेरी सरकार ने जनसेवाओं को लोगों के द्वार पर ही उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के तहत 40 सेवाओं की शुरुआत की है। इसमें अब 30 और सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे नागरिकों को बार–बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और ये सेवाएं उन्हें घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगी।

59. सरकार ने शहर के पर्यावरण को सुधारने और प्रदूषण की रोकथाम पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। इस संबंध में कई कार्य किये गये हैं, जिनमें वायु प्रदूषण की लगातार निगरानी करना, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जी.आर.ए.पी.) का अमल, वृक्षारोपण अभियान, पीएनजी का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को सब्सिडी और भोजनालयों को कोयले वाले तंदूर के स्थान पर गैस वाले तंदूर अपनाने पर प्रोत्साहन शामिल हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डी.पी.सी.सी.) ने 29.6.2018 को एक अधिसूचना जारी की जिसके अंतर्गत दिल्ली में केवल अनुमोदित ईंधन के इस्तेमाल की ही इजाजत होगी। दिवाली के उत्सव के दौरान वायु की गुणवत्ता में गिरावट की रोकथाम के लिए पटाखों पर पाबंदी पर अमल किया गया। वायु प्रदूषण में वैज्ञानिक तरीके से कमी लाने के लिए कई पहलुओं का अध्ययन करने के बाद 2018–19 के बजट में ग्रीन बजट की शुरुआत की गयी । विभिन्न विभागों के 26

कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को ग्रीन बजट में सम्मिलित किया गया। जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, होटलों आदि में अवजल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) स्थापित किये गये हैं। औद्योगिक इलाकों से निकलने वाले गंदे पानी के शोधन के लिए 13 सी. ई.पी.टी. लगाए गये।

60. माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्माननीय सदन के सदस्यगण मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे।

61. मैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि सत्र के दौरान सभी विषयों पर सार्थक चर्चा होगी।

जय हिन्द